

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 2728 / FP/UK/ROAD/50196/2020 देहरादून: दिनांक: 4 मई, 2021

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-चमोली के विधान सभा क्षेत्र गैरसैण के अन्तर्गत टैटुड़ा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/50196/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु आवासीय अभियन्ता, ब्रिडकुल-पी०एम०जी०एस०वाई, पी०आई०यू०, गैरसैण-चमोली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.475 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 90 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 41514

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या०-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/50196/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. आवासीय अभियन्ता, ब्रिडकुल-पी०एम०जी०एस०वाई, पी०आई०यू०, गैरसैण-चमोली।

(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या०-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:— जनपद—चमोली के विधान सभा क्षेत्र गैरसँण के अन्तर्गत टैटुड़ा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/50196/2020)

जनपद—चमोली के विधान सभा क्षेत्र गैरसँण के अन्तर्गत टैटुड़ा से नैणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.475 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.657 हे० राजस्व वन भूमि एवं 0.818 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.475 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद—चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट—II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 90 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:
हस्ताक्षर:



(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या०—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं

नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

D. J. K. SHARMA

Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand

सरकारी मोहर:

तिथि : 04/05/2021

स्थान : देहरादून